एडी कोशल, मुख्य न्यायाधीश और एसएस दीवान न्यायमूर्ति

दया राम गर्ग, आदि-याचिकाकर्ता,
बनाम
हरियाणा राज्य और अन्य- उत्तरदाता

1977 की सिविल रिट संख्या 4061

मार्च 30,1978

हरियाणा नगरपालिका अधिनियम (1973 का 24)-धारा 258-धारा 258 के तहत जारी अधिसूचना को निरस्त कर दिया गया-अधिसूचना के बाद जारी करना-चाहे वह स्वयं सरकार द्वारा विवेक की कमी को दर्शाता हो-उप-धारा (3) के प्रावधान-की आवश्यकताएं।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 258 के अधीन अधिसूचना को वापस लेने और दूसरी अधिसूचना जारी करने के बीच स्थिति में परिवर्तन हुआ है, यह दर्शाना सरकार का दायित्व नहीं है। पहले की अधिसूचना को विभिन्न कारणों से निरस्त किया गया हो सकता है जो तकनीकी भी हो सकता है और बाद की अधिसूचना की वैधता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक एकमात्र प्रश्न यह होगा कि क्या सरकार ने वास्तव में विवादित अधिसूचना बनाते समय अपने दिमाग का उपयोग किया था और यहां तक कि उस मामले के संबंध में, याचिकाकर्ता पर सरकार द्वारा दिमाग की कमी दिखाने की जिम्मेदारी होगी।

(Para 2)

यह अभिनिर्धारित किया गया कि अधिनियम की धारा 258 की उपधारा (3) की अपेक्षाएं, पहला, यह है कि अधिसूचित क्षेत्र में या तो एक नगर या एक बाजार होना चाहिए और दूसरा, कि ऐसा क्षेत्र "विशुद्ध रूप से कृषि गांव" नहीं होना चाहिए। जहां ये दोनों शर्तें पूरी हो जाती हैं, अधिनियम की धारा 258 की उप-धारा (3) के तहत अधिसूचना पर हमला नहीं किया जा सकता है।

(Para 7)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत याचिका में अनुरोध किया

गया है किः

(ए) उत्तरदाताओं से आक्षेपित अधिसूचनाओं के अनुलग्नक पी-1 को जारी करने वाले रिकॉर्ड को तलब किया जाना चाहिए।
(ख) आक्षेपित अधिसूचना एनेयूर पी-1 को निरस्त करते हुए प्रमाण पत्र की प्रकृति में एक रिट जारी करना।
(ग) हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 की धारा 258,260,262,263 और 57 के उपबंधों को शून्य और अधिकार से बाहर घोषित करके कोई अन्य उपयुक्त आदेश या निदेश जारी कर सकता है जिसे यह माननीय न्यायालय उचित और उचित समझे।
(घ) याचिकाकर्ताओं को उत्तरदाताओं को पूर्व सूचना देने से छूट दी जाएगी, क्योंकि उत्तरदाता अधिसूचित क्षेत्र के सदस्यों की एक समिति का गठन करेंगे, जिससे इस सिविल रिट याचिका को दायर करने के उद्देश्य को विफल करने वाली अधिक जटिलताएं पैदा होंगी।
(ङ) इस सिविल रिट याचिका की लागत याचिकाकर्ताओं को दी जाए।

यह भी प्रार्थना की जाती है कि सिविल रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान आक्षेपित अधिसूचना अनुलग्नक पी/एल के संचालन पर रोक लगाई जाए।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता जी सी मित्तल और अधिवक्ता सी बी गोयल ने पक्ष रखा।
एस सी मोहंता उत्तरदाताओं के लिए एच एस गिल, ए ए जी के साथ ए जी हरियाणा।

न्याय

2. जहां तक हमले (क) का संबंध है, हम यह नहीं समझते कि सरकार पर यह दिखाने का दायित्व कैसे था कि स्थिति में परिवर्तन 13 अप्रैल, 1977 और 17 नवंबर, 1977 के बीच हुआ था। हो सकता है कि पहले की अधिसूचना को विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिया गया हो, जो तकनीकी भी हो सकता है और विवादित अधिसूचना की वैधता निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक एकमात्र प्रश्न यह होगा कि क्या सरकार ने वास्तव में विवादित अधिसूचना बनाते समय अपने दिमाग का उपयोग किया था, और यहां तक कि उस मामले के संबंध में भी याचिकाकर्ताओं पर सरकार द्वारा दिमाग की कमी दिखाने की जिम्मेदारी होगी,

जिसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम यह नहीं देखते हैं कि यह सरकार के लिए किसी भी प्रथम दृष्टया सबूत t.o विपरीत की अनुपस्थिति में अपने दिमाग के आवेदन पर याचिकाकर्ताओं को संतुष्ट करने के लिए होगा। मामले के इस दृष्टिकोण में हमला (ए) को पीछे हटा दिया जाता है।

3. अधिनियम की धारा 258 की उप-धारा (3) इस प्रकार हैः "किसी भी क्षेत्र को अधिसूचित क्षेत्र नहीं बनाया जाएगा जब तक कि इसमें कोई शहर या बाजार शामिल न हो और यह विशुद्ध रूप से कृषि गांव न हो।

उप-धारा की अपेक्षाएं, सबसे पहले, यह हैं कि अधिसूचित क्षेत्र में या तो एक शहर या एक बाजार होना चाहिए और दूसरा, कि ऐसा क्षेत्र "विशुद्ध रूप से कृषि गांव" नहीं होना चाहिए। वर्तमान मामले में दोनों शर्तें पूरी तरह से संतुष्ट हैं क्योंकि तारोरी निश्चित रूप से एक शहर है और न तो एक गाँव है और न ही एक विशुद्ध रूप से कृषि गाँव है। दूसरे शब्दों में, अधिसूचित क्षेत्र में एक शहर शामिल है और ऐसे क्षेत्र में केवल एक विशुद्ध रूप से कृषि गांव शामिल नहीं है। इसलिए हमले (बी) और (सी) पूरी तरह से आधारहीन हैं।

4. हमले के समर्थन में (घ) याचिकाकर्ताओं के विद्वान वकील ने हरियाणा नगरपालिका सामान्य भूमि (विनियमन) अधिनियम, 1974 की धारा 4 और 7 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है। याचिका में या पूर्ण पीठ के समक्ष ऐसी कोई चुनौती नहीं दी गई थी, जिसने कल से एक दिन पहले मामले में उत्पन्न होने वाले संवैधानिक वैधता के प्रश्नों पर विचार किया था। न ही याचिका में संशोधन के लिए पूर्ण पीठ के समक्ष फिर से कोई अनुमति मांगी गई। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम श्री मित्तल को मुद्दा उठाने की अनुमति देने से इनकार करते हैं।

5. परिणामस्वरूप याचिका विफल हो जाती है और इसे खारिज कर दिया जाता है लेकिन लागत के रूप में कोई आदेश नहीं होता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के

लिए उपयुक्त रहेगा ।

रमनीक कौर
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
(Trainee Judicial Officer)
फ़रीदाबाद, हरियाणा